न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 125/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/177)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
खेताराम पुत्र सादुला राम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर।		1. गीता देवी पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 2. धर्मेन्द्र पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 3. मोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 08.05.2025

उपस्थितः1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

—निर्णय— **दिनांकः 29.09.2025**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.885 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी काश्त सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी का कब्जा काश्त चक 38 एच के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 8 की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 13/2 की 0.126 हैक्टेयर कुल 0.632 हैक्टेयर भूमि पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर चला आ रहा है। वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.885 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता,

76 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.885 हैक्टेयर भूमि वादी व तिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से फिक भूमि का वादी चेतराम के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर ता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय री नक्शा अधिकृत किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 29 दिनांक 10.09.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत , सामिल मिसल की गई।

स वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस वादी धिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा पोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

त: अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि कि राजस्व म 38 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 2076 के खाता संख्या 37/37 के मुरब्बा नम्बर 33 की कुल 0.885 हैक्टेयर भूमि में से वादी हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

म खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
राम पुत्र सादुला राम जाति ट निवासी 36 एच नग्गी सील श्रीकरणपुर। .632 हैक्टेयर)	38 एच	33	3 8 13/2	0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी	1.75 1.75 0.87

ते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{**श्योराम** (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर